UPAU010047072016

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया

उपस्थितः–पारूल जैन, (उच्चतर न्यायिक सेवा) J.O. Code UP–2391

दण्ड प्रकीर्ण संख्या 17/2016

राज्य बनाम ओमप्रकाश आदि

धारा–446 सीआरपीसी
थाना–दिबियापुर जिला–औरैया

दिनांकः–09.05.2026

1. आज यह पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत हुई।

2. प्रस्तुत प्रकरण में जमानतदार ओमप्रकाश व राजकुमार के विरूद्ध धारा 446 दं.प्र.सं. की कार्यवाही चल रही है। न्यायालय द्वारा आज जमानतदार राजकुमार की पत्रावली पृथक की गयी है।

3. प्रार्थी ओमप्रकाश की ओर से इस आशय का प्रार्थनापत्र 7 ख दिया गया है कि वह उपरोक्त मुकदमा में सत्र परीक्षण संख्या 154/2012 अपराध संख्या 176/2011 थाना दिबियापुर राज्य बनाम जावेद कुरैशा धारा 25 ए एक्ट का जामिनदार था। वह अत्यन्त गरीब हहै जैसे तैसे परिवार का भरणपोषण कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में उसकी जमानत राशि कम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उसको उचित जुर्माना से दण्डित कर जामिनदार को उनके दायित्वों से उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. प्रस्तुत दाण्डिक प्रकीर्ण वाद से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 176/2011 में उक्त जामिनान ओमप्रकाश ने अभियुक्त जावेद कुरैशी की जमानत ली थी। अभियुक्त जावेद कुरैशी के न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण जामिनान ओमप्रकाश के विरूद्ध धारा 446 दं.प्र.सं. की कार्यवाही अग्रसारित की गयी तथा जामिनान उपरोक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जामिनान ओमप्रकाश मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित है तथा उनके द्वारा कथन किया गया है कि वह अत्यन्त गरीब है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अतः उसे कम से कम जुर्माने से दण्डित कर उसका वाद निस्तारित किये जाने की याचना की गयी।

6. लोक अदालत का उद्देश्य वादकारियों के हित में मुकदमे निस्तारित करना है। इस पत्रावली में जामिनान ओमप्रकाश द्वारा लोक अदालत में अपना वाद निस्तारित किये जाने हेतु प्रार्थना की गयी है। लोक अदालत का उद्देश्य पूर्ण हो, इसलिए इस पत्रावली का निस्तारण किया जा रहा है।

7. अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जामिनान ओमप्रकाश को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.05.09 10:21:28 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1, Auraiya

<u>आदेश</u>

जामिनान ओमप्रकाश द्वारा आज दिनांक 09.05.2026 को अंकन 1000/–रूपये जमा करने पर अभियुक्त जावेद कुरैशी की जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।